

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

सं.संख्या-टी3/योजना-25/2008- 1867 /पटना,दिनांक 07-06-19

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:-

स्थापित महिला औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्व में सृजित पद के अवधि विस्तार एवं रु० 50.00(पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि स्थापित महिला औ०प्र०संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम में सृजित पद के अवधि विस्तार विभागीय पत्र संख्या 998 दिनांक 15-5-2018 के द्वारा दी गई थी ,जो निम्नवत है-

क्रम सं०	संस्थान का नाम	व्यवसाय	स्वीकृत यूनिट	अनुदेशक के स्वीकृत पद
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा पटना	आई० टी० एण्ड ई० एस० एम०	1	1
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुज०	आई० टी० एण्ड ई० एस० एम०	1	1
3	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोतिहारी	इलेक्ट्रीशियन	1	1
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा	इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक	1	1
5	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरा	इलेक्ट्रीशियन	1	1
6	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीवान	आई० टी० एण्ड ई० एस० एम०	1	1
7	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गया	इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक	1	1
	योग		07	07 पद

वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11,2011-12, 2012-13 ,2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में यह राज्य स्कीम स्वीकृति किया जा चुका है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपबंधित राशि निम्नवत है-

कूट इकाई	विषय शीर्ष	राशि
0112.01.01	वेतन	2,50,000.00
0112.01.03	जीवन यापन भत्ता	37,000.00
0112.01.04	मकान किराया भत्ता	25,000.00
0112.01.06	चिकित्सा भत्ता	2,000.00
0112.01.07	अन्य भत्ता	0.00
	योग वेतन	3,14,000.00
0112.13.01	कार्यालय व्यय	12,00,000.00
0122.28.02	संविदा सेवाएँ	18,86,000.00
0112.52.021	मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	16,00,000.00
	योग	50,00,000.00

रुपये पचास लाख मात्र।

इस प्रकार कुल रुपये 50.00 लाख (चास लाख ) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त राशि का उपयोग स्थापित महिला औ0प्र0संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित राज्य स्कीम हेतु व्यय नियमानुसार किया जा सकेगा।

3. कय किए गए मशीनों एवं उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में संबंधित यूनिट के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।
4. सभी सामग्रियाँ प्राधिकृत डिलर / अधिकृत विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसके गुणवत्ता के लिए संबंधित प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना होंगे। तथा संबंधित महिला औ0 प्र0 संस्थानों के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।
6. इस योजना पर होने वाला व्यय मुख्यशीर्ष- 2230 श्रम ,रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष -03 प्रशिक्षण, लघुशीर्ष- 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या 26, उप शीर्ष- 0112 स्थापित महिला औ0प्र0संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना विपत्र कोड 26-2230030030112 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
7. यह चालु योजना है।
8. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-टी3/यो0-25/08 के पृष्ठ- 94 /टी0 पर प्राप्त है एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-95 /टी0 पर प्राप्त है।
8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17-4-98 के प्रवधान के अनुसार राशि विमुक्त किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

*31/6/2019*  
संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-25/08- 1267 /पटना,दिनांक 07.06.19

प्रतिलिपि:-योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*31/6/2019*  
संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-25/08- 1267 /पटना,दिनांक

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*31/6/2019*  
संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-25/08- 1267 /पटना,दिनांक 07-06-19

प्रतिलिपि:-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/महिला औ0प्र0संस्थान से संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्राचार्य/उप प्राचार्य, महिला औ0प्र0संस्थान/ / निदेशालय बजट शाखा /मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*31/6/2019*  
संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी3/यो0-25/08- 1267 /पटना,दिनांक 07-06-19

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अप लोड करने हेतु प्रेषित।

*31/6/2019*  
संयुक्त सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।